राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रु.प-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(6)राज-6./92/3 जयपुर, दिनांक:- 27.2.99

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) की धारा 90-क के साथ पठित धारा 261 की उप-धारा (2) के खण्ड (xi-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) (संशोधन) नियम, 1999 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

" परन्तु किसी आवेदक को किसी जिले में औद्योगिक प्रयोजन के लिए अपनी भूमि को संपरिवर्तित करने के लिए एक बार अनुज्ञात कर दिया जाता है तो उसे उसी जिले में उसी औद्योगिक प्रयोजन के लिए या उसके विस्तार के लिए संपरिवर्तित करने हेतु केवल तब ही अनुज्ञात किया जायेगा यदि विद्यमान उद्योग उसी प्रयोजन के लिए चल रहा हो । " ।

राज्यपाल के आदेश से ,

(संजय दीक्षित)
शासन उप सचिव